राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : ....1455/2015.. जिला : चूरू
मैसर्स–कानोडिया ट्रेडर्स, चूरू बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,झुन्झुनूँ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री सुनील शर्मा,सदस्य**	
22.09.2015	अपीलार्थी की ओर से श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री जमील जई, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र विद्वान अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के अपील संख्या 169/आरवैट/चूरू/1014–15 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2015 के विरूद्ध पेश कर प्रार्थना की है कि अपीलीय अधिकारी ने राजस्थान वैट एक्ट, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 सपठित धारा 83 के तहत अपील निर्णय के विरूद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, झुन्झुनूँ (जिो आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 75(8) के तहत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.06.2014 में रू. 4,06,254/–की मांग सृजित की है,जिसको यथावत रखा है, में से रू. 1,88,454/– की वसूली को स्थगित करने का निवेदन किया गया है। स्थगन के सम्बन्ध में उभयपक्षीय की बहस सुनी गयी तथा कर निर्धारण अधिकारी के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षीय तर्को पर विचार करने के पश्चात हस्तगत प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना स्थगन हेतु आवेदित राशि रू 1,88,454/– के बाबत, कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत (Adequate Security)प्रस्तुत करने की दशा में, उक्त अपील में निर्णय पारित होने तक रोक लगायी जाती है। कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का रिकार्ड यथा शीघ्र मंगवाया जाये तथा रिकार्ड पूर्ण होने पर ही उक्त अपील बहस हेतु एकलपीठ के समक्ष पेश हो। मिसल दिनांक 17.11.2015 को रजिस्ट्रार कोर्ट में पेश हो। (सुनील शर्मा) सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, सदस्य	